

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

गुंन 36/16 तारीख रज 6.5.16

उगवान - मुनीशम बजाग विजय सिंह व को

दावा बाबत डिक्विजन् आफ होरलिज क स्याई

निषेधाज्ञा - प्यारा 53, 188 Act

पादी को ओर से भी राममरेसी गुप्ता एवं ने दावा  
बाबत डिक्विजन् आफ स्याई निषेधाज्ञा अन्तर्गत प्यारा  
53, 188 पेश किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया।  
दावा दर्ज शिर्षक कर प्रतिपादित गणों को ओर से सम्मन  
ए तलब कर पठावली दि 7.7.16 को पेश हो।

1147-59

13.5.16

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (कोटली)

28.7.16

जनरल प्रेशीटि पेश हुई प्रतिवादी नं. 3, 5, 6, 10,  
11, 12, 13 के सम्मन विधिवत तामील हो चुके हैं।  
अपवाद हज्जा उपवन्ही है, उनके रिफलाफ एक  
पक्षीप का प्रचाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1 का  
सम्मन अद तामील प्राप्त नहीं। प्रतिवादी नं. 2, 7, 8,  
9 के सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए हैं। वादी वकील  
प्रतिवादी नं. 1, 2, 7, 8, 9 के सम्मन तलवाना पुनः  
पेश करे। वास्ते तलवी दि 26.8.16 को पेश हो।

6.8.16

वादी वकील उप। वादी वकील को तलवाना पेश कर  
रिदमत की। वास्ते तलवी दि. 30.9.16 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>30.9.16</p> <p>3357-6)</p> <p>9.11.16</p>	<p>वादी वकील उप। वादी वकील प्रतिवादी नं. 1, 2, 7, 8, 9 के सामन तलवाना पेश करने की हिदायत की। वास्ते तलवी दिनांक 17.11.16 को पेश हो।</p>
<p>17.11.16</p>	<p>वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 2, 7, 8, 9 के सामन अफस लगीत अब डुर है प्रतिवादी नं. का तलवाना वापिस आब नहीं। वादी वकील पुनः (एड) कसूर करने पर तलवाना 7 दिन में पेश करे। दिनांक 21.11.16 को पेश हो।</p>
<p>21-12-16</p>	<p>वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 1, 2, 7, 8, 9 के सभी खं पूरिपते पर रजि. 190 तलवाना पेश करने की हिदायत की गयी। वास्ते तलवी दिनांक 2-2-17 को पेश हो।</p>
<p>2<sup>2</sup>/<sub>17</sub></p>	<p>वादी वकील उपरिधर / पं. वास्व मीरिंग से कतली पचोर है। गानामुसा दिनांक 23-2-17 को पेश हो।</p>
<p>28-3-17</p>	<p>वादी वकील उपरिधर / वास्ते लखी दिनांक दिनांक 28-3-17 को पेश हो।</p>
<p>28-3-17</p>	<p>वादी वकील उप। तलवी से सामन रजि. 190 पेश करने दिनांक 19-4-17 को पेश हो।</p>

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

19.4.17 वादी वकील उप. | वादी वकील ने सम्मान तलवाना पेश करने पुनः लगभग 47 दिन वादी वकील को पचास ठावसर पहले ही दिया गया है - पाप रित में प्रौढ देखा हिदायत की जाती है कि 7 दिन में प्रतिवादी नं. 1, 2, 7, 8, 9 के सम्मान तलवाना पेश करे। कस्ति तलवी दिनांक 17.5.17 को पेश हो।

17.5.17 वादी वकील उपस्थित / प्रोसाय केम्प में पञ्चीत है। गलानुसार दिनांक 17.7.17 को पेश हो।

2 वादी वकील उपस्थित | वादी वकील ने प्रतिवादी नं. 1, 2, 7, 8, 9 के सम्मान तलवाना पेश नहीं किये है सम्मान तलवाना पेश करने पचास ठावसर दिया जा चुका है - पाप रित में एक ठावसर दिया जाकर हिदायत दी जाती है कि आगामी सुनवाई तिथी तक रजि. सम्मान तलवाना पेश को सम्पन्न मुकदमा खारिज किया जायेगा दिनांक 25.7.17 को पेश हो।

25.7.17

पत्रावली पेश हुई | वादी वकील उपस्थित नहीं किये गए आवाज दिलाई गई। किन्तु वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः अदम राजिरी एवं अदम पैरवी में यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।

जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर